भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-171

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तथ्यों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट

†171. **श्री आनंद भदौरिया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के दिनांक 09.01.2024 के पत्र के प्रत्युत्तर में विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं की जांच हेतु दिनांक 27.01.2024 की अधिसूचना के अंतर्गत गठित तथ्यों की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी का क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी;

(घ) क्या बीएचयू द्वारा आज तक इन गंभीर अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 09.01.2024 के पत्र, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों को संप्रेषित किया गया था, के अनुसरण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति द्वारा गठित तथ्यान्वेषी समिति ने दिनांक 14.03.2024 को बीएचयू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और बीएचयू द्वारा दिनांक 05.06.2025 को सीवीसी को एक विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। चूंकि बीएचयू एक स्वायत्त संगठन है, जो समय-समय पर यथासंशोधित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 और उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों/नियमों और विनियमों द्वारा शासित है, इसलिए अनियमितताओं की शिकायतों से निपटने के लिए इसकी अपनी सुपरिभाषित संगठनात्मक व्यवस्था है।

*****